

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या-1484, 1485, 1486, 1487 व 1488/2014.....जिला.....अलवर.....

उनवान- मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि., नीमराणा बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2014	<p align="center">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक <u>10.07.2014</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत कमशः निर्धारण वर्ष 2007-08, 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के लिये पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक <u>01.05.2014</u> के जरिये कायम की गयी ब्याज की मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान कमशः <u>रु.8,83,906/-</u>, <u>रु.5,058/-</u>, <u>रु.7,59,264/-</u>, <u>रु.3,59,716/-</u> व <u>रु. 1,16,811/-</u> की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी अभिभाषक व विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु उपस्थित हुये।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने के आदेश में <u>किसी प्रकार के कारणों का कोई अंकन नहीं किया गया है जो अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है।</u> इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश दिनांक 01.05.2014 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी का सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आलोक में, बाध्यकारी। कथन किया कि हस्तगत प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेशों के जरिये कायम की गयी कर व अनवुर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपीलार्थी द्वारा विवादित किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 66(2)(a) सपटित धारा 66(1)(b) के प्रावधानानुसार उक्त मांग राशियों के निर्णय होने तक ब्याज आरोपणीय नहीं है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि उक्त सभी प्रकरणों में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान</p>	

लगातार.....2

03.11.2014

अपील संख्या:-1484, 1485, 1486, 1487 व 1488/2014/अलवर

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं जो आदिनांक तक विचाराधीन है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें लम्बित होने की स्थिति में किसी प्रकार की अग्रिम मांग चाहे वह ब्याज की ही क्यों न हो, कायम नहीं की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2002) 127 एस.टी.सी. 258, (2006) 280 आई.टी.आर. 643, (2005) 13 टैक्स अपडेट 163 को प्रोद्धरित कर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, बकाया वसूली योग्य मांग राशि कमशः रु.8,83,906/-, रु.5,058/-, रु.7,59,264/-, रु.3,59,716/- व रु. 1,16,811/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कथन किया कि अधिनियम की धारा 55 के तहत उक्त बिन्दू पर ब्याज आरोपण संबंधी स्पष्ट प्रावधान होने के कारण सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों व अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 55.- Interest on failure to pay tax or other sum payable. - (1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of -

(a) tax leviable or payable; or

(b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or


(c) any other amount payable by him,

within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time.

उपर्युक्त प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि अधिनियम में किसी भी प्रकार की मांग राशि समय पर राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में, ब्याज आरोपण के विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पांचों रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।


3.11.2014
(मदन लाल)
सदस्य